दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 'SUDA'

61/1

पत्रांक : 1702/05/76/एक/2013–14 दिनांक : 09 सितम्बर 2013

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–वाराणसी।

विषय : वित्तीय वर्ष 2013–14 में सूडा द्वारा डूडा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना। okjk.klh

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:– (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	आगणित धनराशि	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	सेन्टेज की धनराशि	अवमुक्त की धनराशि	बैंक/खाता संख्या (ट्रांसफर धनराशि)
1	वाराणसी	न0नि0 वाराणसी	मुस्लिम बाहुल्य मलिन बस्ती बुनकर मार्केट बड़ी बाजार, दोषीपुरा जैनपुरा छोहरा, नागकुआ, रसूलपुरा, जैतपुरा आगागंज, उस्मानपुरा सलारपुरा, कमालपुरा, शेषमन बाजार बंधुकच्चीबाग, चौहट्टा लालखां पठानीटोला, सलेमपुरा छित्तनपुरा जेरगुलर, भदऊं, मुकीगंज कायला बाजार, हनुमान फाटक अंसाराबाग, विजयीपुरा मस्लिम बस्ती, सरैयां भरौटिया माली बाग खेजवां मुस्लिम बस्ती एवं फारूखीनगर जोल्हा में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	39.920	19.960	2.220	17.740	PNB 2988000109943047
2	वाराणसी	न0नि0 वाराणसी	मुस्लिम बाहुल्य मलिन बस्ती पक्की बाजार, नदेसर लच्छीपुरा, हुकुलगंज, खजुरी, पुरानापुल पुलकोहना, नई बस्ती मस्लिम बस्ती, देवनाथपुरा मंदनपुरा, जगजीवनपुरा, सदानन्द बाजार, देवलीगली पुरानी अदालत, तेलियाबाग काजीपुरा खुर्द, लल्लापुरा फातमान कोनाद्वार, बाग बरियार सिंह बड़ी पियारी, लहंगपुरा पितरकुण्डा, सरायफाटक औरंगाबाद, रामापुरा बाग रानी भवानी, मुर्गिया टोला, खालिसपुरा, काजीपुरा, कला, पाण्डये हवेली, कुतबन शहीद एवं दुल्ली गढ़ही में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	39.970	19.985	2.220	17.765	
3	वाराणसी	न0नि0 वाराणसी	शिवरतनपुर (नूर नगर) मुस्लिम बाहुल्य बस्ती में गली निर्माण एवं जल निकासी कार्य।	23.540	11.770	1.310	10.460	
			योग	103.43	51.715	5.75	45.965	

दूरभाष— 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

61/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:—

1— उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

4— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

5— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013—14 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

6— उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

7— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

9— **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये 75 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि शासन से प्राप्त कर जनपद को अवमुक्त की जा सके।**

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. संयुक्त निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक